



## नगर सुधार न्यास, भरतपुर

### शिक्षण संस्थान के लिये भूमि पट्टा विलेख

( राजस्थान में राजारव अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत  
पुनः आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु )

यह इकारानरामा जो आज दिनांक 22 जनवरी 2008  
के आवंटन पत्र सं0 1148 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें  
इसके पश्चात् ~~संस्कार~~ कहकर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर के बीच एस.  
एज्यूकेशन ट्रस्ट जारी सचिव स्नेहलता पत्नी श्री भीमसिंह निवारी ए-32  
नित्यानंद नगर, वयून्न रोड जयपुर, जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कहता सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग में क्रैस्स अर्थ निकले,  
उनके उत्तराधिवारी, निर्वाहक, प्रतिनिधि, प्रबन्धक और मुन्त्रवील अलौह भी सम्मिलित  
होंगे) के बीच लिखा गया ।

इस घात का साक्षी है कि रुपये 271390/- अक्षरे दो लाख इकैहत्तर हजार  
तीन सौ नव्य रुपये मात्र की रकम के नियमत शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया  
गया है (और जिसकी रसीद ज्ञानकार इसके द्वारा स्वीकार करती है ) और इसमें  
उन शर्तों और गरारों जैसे निष्पादित लक्ष्य पालन किये जाते हैं ।  
इसके द्वारा जिसका नाम 7 दिसंबर 5 तमाम प्लॉट (जो इसके बाद  
सम्बोधित करती है और पुनः आवंटित करती है जो अपनी  
ग्राम 5 तमाम के साथ इसके अन्तर्गत है) गये परिशिष्ठ में अधिक पूर्ण रूपेण  
वर्णित है । जसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नवशो में दिखलाया गया है  
और जिसे पूर्ण स्वानित्य सम्बन्धि स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक  
अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बैद्य शर्तों करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग,  
उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा । अर्थात् :-

२८८५०१

६०-

सचिव  
नगर सुधार न्यास  
भरतपुर

नव पञ्जाब  
भरतपुर

उक्त भूखण्ड कर के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आधिता प्रिया

गया है लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी।

उपटेदार हारा नगर सुधार न्यास, भरतपुर में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.

5(2)नविवि/3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार लीज/नगरीकर एक ग्राम नियमन दर की 5 प्रतिशत दर से जमा करवा दी गयी है।

शहरी जगाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पश्च जारी होने के तिथि से संगणित की जावेगी।

उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो नगरीय कर के कारण बाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश की जो उस तारीख से जो उस समय माल गुजारी के बकाया को वसूली के लिये निर्दिष्ट किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल शिक्षण संस्थान निर्माण उपयोग के लिये किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य किसी प्रयोजन की दृष्टि से उपयोग किसी भी भाँति नहीं किया जा सकेगा।

6. राष्ट्रीय राजगार्ग नं 0 11 जयपुर-आगरा रोड के मध्य से 75 मीटर तक नी गृणि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़नी होगी अर्थात् सड़क मध्य से 75 मी 0 में किसी कार का निर्माण नहीं किया जावेगा। यह भूमि न्यास/राज्य सरकार को समर्पित मानी जायेगी। इसे दृक्षा रोपण हेतु खुला रखा जावेगा तथा निर्माण निर्धारित सेट-बैक छोड़कर ही कराना होगा।

7. न्यास के भवन निर्माण विनियमों एवं नगर नियोजन मापदण्डों के अनुरूप भवन नानाचित्र नगर सुधार न्यास भरतपुर से अनुमोदित करवाकर ही भूखण्ड पर भवन निर्माण किया जावेगा।

संचिव  
नगर सुधार न्यास  
भरतपुर

- (1)

For K.B.S. Education Trust

Chittaranjan

आज दिनांक 22 माह January सन् 2008 को 16:27 बजे  
श्री / श्रीमती / सुश्री SMT. SNEHLATA पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री BHEEM SINGH  
उम्र 45 वर्ष जाति JAT व्यवसाय HW  
निवारी JAIPUR  
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

2-21-601/11

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, BHARATPUR  
(2008000399)  
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं 2008000357 दिनांक 22/01/2008  
पंजीयन शुल्क रु० 2990/-  
प्रतिलिपि शुल्क रु० 200/-  
पृष्ठांकन शुल्क रु० ०/-  
अन्य शुल्क रु० ०/-  
कसी स्टाम्प शुल्क रु० 19410/-  
कुल योग रु० 22600/-

(2008000399) उप पंजीयक, BHARATPUR  
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

For K.B.S. Education Trust

Chairman

८. लीज डॉड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/ जीवन वीमा बैंक / सरकार अणदानी संस्था / एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत अणदानी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा ।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर केता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर सुधार न्यास, भरतपुर के नियमों के अनुसार न्यास में करवाना होगा ।
10. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन जगहों के लिये याग वगे विर्ति ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्दिशित आशय के असंगत है बिना भारत सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के जो ऐतदर्थ नियुक्त किया गया हो न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा ।
11. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी । यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुये भवन यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर दिया जावेगा ।
12. उक्त पट्टा पट्टेदार द्वारा न्यास को प्रस्तुत समर्पण नामा व क्षतिपूर्ति बन्धपत्र के निर्विवाद स्वामित्व व कब्जा पट्टेदार को मानते हुये जारी किया गया है । भविष्य में किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में पट्टा न्यास द्वारा रद्द किया जा सकेगा । जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
13. यह पट्टा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त भूमि विवाद रहित बतलाई रखी है । उसी आधार पर उक्त पट्टा जारी किया जा रहा है । भविष्य में स्वामित्व संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होने पर न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

संचिव  
नगर सुधार न्यास  
भौतागुर

(3)

  
K.B.S. Education Trust

  
Chairman

संन्देश  
संख्या ६०१८

श्री / श्रीमती / सुश्री (Executive)  
SMT. SNEHLATA BHIL EM SINGH  
45. Caste: JAT  
D.O.B.: -  
JAIPUR

2-८६८ (११)

And Claimant )  
T.BTP/UIT.BTP  
Age 0 Caste:  
RAO-UIT.BTP

देव्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)  
। पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।  
। उल राशी रु 298529/- पूर्व में / मेरे  
मध्य / मे से रु 298529/- पूर्व में ——————  
। समझ प्राप्त करना स्वीकार किया।

को निष्पादन कर्ता की पहचान  
। श्रीमती / सुश्री JAGDISH PRASAD  
। त्र / पुत्री / पत्नी श्री BRU MOHAN LAL उम्र 55 वर्ष  
। VAISHY व्यवसाय BUSINESS  
। वासी BTP.

। श्री / श्रीमती / सुश्री RAVI SHARMA  
। त्र / पुत्री / पत्नी श्री BABU LAL SHARMA उम्र 20 वर्ष  
। BRAHMIN व्यवसाय BUSINESS  
। वासी BTP ने की है जिनके

मध्य हस्ताक्षर एवं अगूठा के निशान मेरे समझ लिये गये हैं।

008000399)

उप. पंजीयक, BHARATPUR

LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

For K.B.S. Education Trust

Chairman

नोट:- इस भूखण्ड की नियमन राशि 271390/- एवं 2 वर्षीय लीज 27139/- रुपये  
की पंजीयूत मूल राशि रुपये 298529/- होती है। असेहे स्टाम्प नं.  
स्टाम्प रु0 संख्या ..... व हैसियत पद्धति इसके साथ लगाये जाते

- करवे का नाम :- ग्राम वमनपुरा खसरा नं. 485 / 628 क्षेत्रफल 27139 वर्गगज भूखण्ड  
- का साईड प्लान शिक्षण संस्थान हेतु संलग्न है।

रोजना का नाम : ग्राम वमनपुरा (भरतपुर)

क्षेत्रफल 27139 वर्गगज खसरा नं. 485 / 628 ग्राम वमनपुरा क्षेत्रफल 27139 वर्गगज  
संलग्न साईट प्लान के अनुसार

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसे बाद प्रलयक दशा में निर्देशित  
स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज २२/१/सन् 2008 वें दिन  
श्री दिनेशचंद्र गुप्ता सक्षम अधिकारी  
नगर सुधार न्यास, भरतपुर सचिव ने निम्न  
की उपस्थिति में भरतपुर में हस्ताक्षर किये।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
सचिव  
नगर सुधार न्यास  
भरतपुर

सं. ६०७५१

- (५)

For K.B.S. Education Trust


Chairman

साक्षी :

नाम :— श्री कन्हैयालाल  
 पिता का नाम स्व. श्री खुशीराम  
 व्यवसाय नौकरी  
 निवास स्थान भरतपुर

  
साक्षी के हस्ताक्षर

नाम :— श्री महेशचंद शर्मा  
 पिता का नाम श्री भगवानदास  
 व्यवसाय नौकरी  
 निवास स्थान भरतपुर

  
साक्षी के हस्ताक्षर

तार्ज दिनांक ..... २२/१/१..... 2008 को  
 निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त के.बी.एस.  
 अमूल्यकृष्ण ट्रस्ट जरिये सचिव स्नेहलता  
 पत्नी पत्नी श्री भीमसिंह  
 खरीददार द्वारा कार्यालय नगर सुधार  
 न्यास, भरतपुर में हस्ताक्षर किये ।


२-नो ६८८।  
खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी :

1. नाम :— सतवीरसिंह  
 पिता का नाम श्री रनसिंह  
 व्यवसाय खेती  
 निवास स्थान रोजबिला भरतपुर

  
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम :— वीरेन्द्र सिंह  
 पिता का नाम श्री भगवान सिंह  
 व्यवसाय ठेकेदारी  
 निवास स्थान शास्त्री नगर, भरतपुर

  
साक्षी के हस्ताक्षर

  
सचिव  
 नगर सुधार न्यास  
 भरतपुर

(5)



for K.B.S. Education Trust



Chairman

URBAN IMPROVEMENT TRUST, BHARATPUR.

SITE PLAN OF PLOT KH. NO.-485/628, VILL.-BAMANPURA, TEH. & DISTT-BHARATPUR.  
AREA OF LAND = 27139.00 SQYDS.

PERM. COVD. AREA = 35%

PERM. F.A.R.=1.0

OWNER-K.V.S. EDUCATION TRUST, BY SECRETARY SMT. SNEHA LATA,

SITE PLAN OF LAND CONVERTED FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

SCALE:- 1"=128'



TO JAIPUR NEW NATIONAL HIGHWAY - 11 TO BHARATPUR

